बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्

परिवेश भवन, एन.एस.बी-2, पाटलीपुत्र औद्योगिक क्षेत्र,
पो0-सदाकत आश्रम, पाटलीपुत्र, पटना-800 010

अधिसूचना संख्या:- 05 पटना, दिनांक:-16.9.2020

अधिसूचना

राज्य में अवस्थित स्टोन क्रशर इकाईयों को संशोधित सहमति शर्त्तों के अनुपालन हेतु अवधि विस्तार दिये जाने के संबंध में।

राज्य में अवस्थित विभिन्न स्टोन क्रशर इकाईयों द्वारा वायु प्रदूषण की रोक-थाम हेतु किये जा रहे प्रयास पर्षद् की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं रहने के कारण, पर्षद् मुख्यालय में 30 जून, 2020 को विभिन्न क्रशर इकाईयों के संचालको/प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक आयोजित की गयी थी। इस बैठक में स्टोन क्रशर इकाईयों से हो रहे वायु प्रदूषण की रोक-थाम हेतु अपनाये जाने वाले उपायों को तीन महीने के भीतर अर्थात् 30 सितम्बर, 2020 तक क्रियान्वित करने पर आम सहमति बनी। तद्आलोक में राज्य अवस्थित स्टोन क्रशर इकाईयों को प्रदूषण नियंत्रण हेतु सुझाये गये उपायों को 30 सितम्बर, 2020 तक लागू करने संबंधी आदेश पर्षद् द्वारा निर्गत किया गया।

इस बीच वैश्विक महामारी कोविड-19 और अन्य कारणों से राज्य में अवस्थित स्टोन क्रशर इकाईयों द्वारा संशोधित सहमति शर्त्तों के ससमय अनुपालन में असमर्थता व्यक्त की गयी है तथा शर्त्तों के अनुपालन हेतु समयावधि बढ़ाने की मांग की गयी है।

सम्यक् विचारोपरांत राज्य पर्षद् द्वारा स्टोन क्रशर इकाईयों को उनकी दैनिक उत्पादन क्षमता (सी0एफ0टी0/दिन) के आधार पर संशोधित सहमति शर्त्तों के अनुपालन हेतु निम्नवत् अवधि विस्तार दिया जाता है:-

क्रशर की क्षमता	संशोधित सहमति शर्त्तों के अनुपालन की विस्तारित समयावधि
600 सी.एफ.टी./दिन तक	31.12.2020 तक
600 सी.एफ.टी./दिन से ऊपर और 2000 सी.एफ.टी./दिन तक	30.11.2020 तक
2000 सी.एफ.टी./दिन से ऊपर	31.10.2020 तक

राज्य में अवस्थित सभी स्टोन क्रशर इकाईयाँ उपरोक्त तालिका के अनुसार निर्धारित समय सीमा में सभी सहमति शर्त्तों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

ह0/-
(आलोक कुमार)
सदस्य-सचिव

ज्ञापांक:- 1076 पटना, दिनांक:-16-9-2020

प्रतिलिपि:-सभी क्षेत्रीय पदाधिकारी/ पर्षद् विश्लेषक/जन-सम्पर्क पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/9/20
(आलोक कुमार)
सदस्य-सचिव